मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ–3–59/2008/26–2 भोपाल दिनांक 8 अगस्त, 2008

प्रति,

आयुक्त,
सामाजिक न्याय,
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषयः– निःशक्तजन अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन योजना–2008

–––

मध्यप्रदेश शासन, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले निःशक्तजनों के प्रतिभागियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति प्रदान करता है :–

(1) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20,000/–(रूपये बीस हजार) मात्र।

(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30,000/–(रूपये तीस हजार) मात्र।

(3) अंतिम चयन होने पर रूपये 20,000/–(रूपये बीस हजार) मात्र।

2/ उपर्युक्त प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर किसी अभ्यर्थी को एक ही बार देय होगी।

3/ प्रोत्साहन राशि ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी को प्रदाय की जायेगी जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

4/ निःशक्त अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अपने निवास के जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5/ संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, आवेदन पत्र का परीक्षण कर, कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर प्रोत्साहन राशि का भुगतान करेंगें।

6/ यह व्यय योजना अंतर्गत उपलब्ध कराये गये आवंटन से किया जायेगा।

7/ उक्त योजना आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग,

पृ0क्रमांक/एफ–3–59/2008/26–2 भोपाल दिनांक 8 अगस्त, 2008

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश,
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग, मध्यप्रदेश।
8. अध्यक्ष, राजस्व मंड़ल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
12. निज सचिव/निज सहायक मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, मध्यप्रदेश।
13. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत –समस्त (मध्यप्रदेश)
17. संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, जिला–समस्त(मध्यप्रदेश)

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग,

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त करने हेतु

आवेदन पत्र

विकलांगता दर्शाता अभ्यर्थी का नवीनत फोटो

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम–..
2. पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम–.......................................
   माता का नाम..
3. स्थायी निवास का पूरा पता(मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)..............................
   ....
   ....
4. निःशक्तता का प्रकार(निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करें)..................................
5. अभ्यर्थी की जन्मतिथि–..
6. अभ्यर्थी के सिविल सेवा में सफल होने का विवरण–
   (1) संघ लोक आयोग/म.प्र. लोक आयोग का नाम...
   (2) अभ्यर्थी का अनुक्रमांक................................(प्रवेश पत्र की प्रति संलग्न करें)
   (3) परीक्षा का स्तर–
   (I) प्रारंभिक परीक्षा की तिथि...
   (II) प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि.........................
   (III) प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का आयोग का पत्र दिनांक.............
   (आयोग का पत्र एवं अंकसूची की प्रति संलग्न करें।)
   (IV) मुख्य परीक्षा की तिथि....................................
   (V) मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि.........................
   (VI) मुख्य परीक्षा में सफल होने का आयोग का पत्र दिनांक.............
   (आयोग का पत्र एवं अंकसूची की प्रति संलग्न करें।)
   (VII) सिविल सेवा में अंतिम चयन के परिणाम घोषित होने का दिनांक..
   (VIII) सिविल सेवा में अंतिम चयन में चयनित पद का नाम..............
   (आयोग के पत्र की प्रति संलग्न करें।)
7. अभ्यर्थी का वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का स्पष्ट उल्लेख करें तथा जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें–...............
   ....
8. अभ्यथी का धर्म–...

नोट– प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु प्रत्येक स्तर के लिये अभ्यर्थी को पृथक–पृथक आवेदन पत्र परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर अपने जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, म.प्र. को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होगें।

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है कोई भी असत्य जानकारी पायी जाने पर मुझे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकेगा।

सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि का लाभ मेरे द्वारा इस स्तर की परीक्षा के लिये प्रथम बार ही लिया जा रहा है।

स्थान
दिनांक

अभ्यर्थी का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर
....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण–
(1).......................................(2)..(3)..
(4).......................................(5)..(6)..

संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय के कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी/...आत्मज श्री/श्रीमती...द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा/अंतिम चयन ....में सफल हुआ है, उक्त परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि रूपये ....(शब्दों में रूपये ....) का प्रदाय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक..............................को चैक क्रमांक.................................दिनांक.................................द्वारा राशि का भुगतान किया गया है।

स्थान–
दिनांक

हस्तक्षर, नाम एवं पदमुद्रा सहित
संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय,
जिला........................
मध्यप्रदेश